न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विष्नोई, आर.ए.एस.

2022-116RAAJodhpur2022-70RTA225 Bhikhsingh ors Vs Tiloksingh etc

01. भीखसिंह पुत्र पाबूदानसिह
02. हिम्मतसिंह पुत्र पाबुदानसिंह
03. इन्द्रसिंह पुत्र पाबुदानसिंह
04. अखेसिंह पुत्र पाबुदानसिंह
05. अनोपसिंह पुत्र पाबुदानसिंह
06. माधोसिंह पुत्र पाबुदानसिंह
07. गणपतसिंह पुत्र केशुसिंह उर्फ किशोरसिंह
08. दलुकंवर पत्नी मेघसिंह
09. समुन्दरसिंह पुत्र मेघसिंह
10. सांवलसिंह पुत्र मेघसिंह
11. मनोहरसिंह पुत्र मेघसिंह नाबालिक जरिये माता दलुकंवर
12. देवीसिंह पुत्र भोजराजसिंह
13. सवाईसिंह पुत्र भोजराजसिंह
14. भीमसिंह पुत्र भोजराजसिंह
15. जब्बरसिंह पुत्र भोजराजसिंह
16. अबुकंवर पत्नी भोजराजसिंह
17. कवरसिंह पुत्र सांगसिंह
18. मोहराकंवर पत्नी सांगसिंह
19. श्रवणसिंह पुत्र सांगसिंह
20. लीलाकंवर पुत्री सांगसिंह
21. धापुकंवर पुत्री सांगसिंह

    अपीलार्थी सं० 19 से 21 नाबालिक जरिये माता मोहराकवर
    सभी जातियान राजपूत निवासीगण कडवा. तहसील बापिणी जिला फलोदी।

22. देवीसिंह पुत्र छोगसिंह
23. हिम्मतसिंह पुत्र छोगसिंह
24. पुराकंवर पत्नी दोलसिंह
25. सुमेरसिंह पुत्र दोलसिंह
26. मनोहरसिंह पुत्र दोलसिंह
27. फतेहसिंह पुत्र दोलसिह

    अपीलार्थी सं० 25 से 27 नाबालिक जरिये माता पुरा कंवर
    सभी जातियान राजपूत, निवासीगण नाहरसिंह नगर, तहसील बापिणी जिला फलोदी।

28. धनसिंह पुत्र भींवसिंह
29. जेठूसिंह पुत्र रूपसिंह
30. शेरसिंह पुत्र मानसिंह
31. सुपुकंवर पत्नी मूलसिंह
32. चुतरसिंह पुत्र मूलसिंह
33. मगसिंह पुत्र मूलसिंह
34. शिवसिंह पुत्र मूलसिंह

35. प्रेमसिंह पुत्र मूलसिंह
36. हवाकंवर पुत्री मूलसिंह
37. धापुकंवर पुत्री मूलसिंह
38. केसुकंवर पुत्री मूलसिंह
39. मीरा कंवर पुत्री मुलसिंह
40. हरकुकंवर पुत्री मूलसिंह
41. गोमी कंवर पुत्री मूलसिंह

सभी जाति राजपूत निवासी नाहरनगर, तहसील बापिणी जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. तिलोकसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
2. रामसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
   जाति राजपूत निवासीगण–बापिणी तहसील बापिणी जिला फलोदी।
3. हुकमसिंह पुत्र छोगसिंह
4. बरजुकंवर पत्नी छोगसिंह
5. नरपतसिंह पुत्र रेवतसिंह
6. हुकमसिंह पुत्र रेवतसिंह
7. शैतानसिंह पुत्र रेवतसिंह
8. अनोपसिंह पुत्र रेवतसिंह
9. पाबुदानसिंह पुत्र मानसिंह
10. शेरसिंह पुत्र मानसिंह
11. भोमसिंह पुत्र लालसिंह
12. देवीसिंह पुत्र लालसिंह
13. अर्जुनसिंह पुत्र लालसिंह
14. अणचकंवर पत्नी लालसिंह
    सभी जाति राजपूत निवासी– नाहरसिंहनगर तहसील बापिणी जिला फलोदी।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बापिणी जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 03 मार्च 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लोहावट राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 555/2020 तिलोकसिंह व अन्य बनाम भीखसिंह इत्यादि

———————

उपस्थित–

श्री रोषनलाल, अधिवक्ता—अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विष्नोई, अधिवक्ता—रेस्पो. संख्या एक व दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या पन्द्रह

नि र्ण य

दिनांक : 02 जून 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 555/2020 तिलोकसिंह व अन्य बनाम भीखसिंह इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 03 मार्च 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 24 मार्च 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपीलांट की खातेदारी खेत खसरा नं. 466/1 रकबा 14 बीघा ग्राम कड़वा तहसील बापिणी में आवागमन हेतु अपीलांट्स एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 से 14 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 465, 506 व 747 में सें सलंग्न नजरी नक्षे अनुसार मार्क ए से डी 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी/अपीलांट की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी/रेस्पो. के प्रार्थना पत्र का खण्डन किया गया। तत्पष्चात विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेष दिनांक 03 मार्च 2022 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक व दो का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता—अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 01 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 446/1 व खसरा नंबर 446 में आने—जाने हेतु पूर्व से ही रास्ता मौजूद है तथा मौके पर खसरा नंबर 742 एवं 746 में से चालू है जो न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। इस कारण धारा 251—ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के तहत नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण की खातेदारी की भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा आपस मे तरमीम नही हो रखी है, इसलिए बिना तरमीम के रास्ते की मांग नहीं की जा सकती है। विचारण

न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नही की गई है तथा अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। रेस्पोडेंट संख्या एक व दो द्वारा खसरा नं0 742 में से रास्ते की मांग नहीं किये जाने के बावजूद भी रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया है। प्रत्यर्थी सख्या 01 व 02 द्वारा जानबूझ कर अन्य पड़ौसी खसरान् के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, क्योंकि उनके खेत में से रास्ता नजदीक पड़ता है, इसके बावजूद भी मात्र अपीलार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेष धारा 251–ए की मंषा के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेष दिनांक 03 मार्च 2022 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में विद्वान रेस्पो. अधिवक्ता ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के आवागमन हेतु मौके पर अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है। धारा 251–ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के तहत निकटतम रास्ता प्रदान किये जाने का प्रावधान है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट पर किसी प्रकार की आपत्तियॉ प्रस्तुत नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत आदेष पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलांट्स का कथन है कि **रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेत खसरा नंबर 742 एवं 746 में रास्ता चलायमान है।** अपीलांट्स के उक्त कथनों की पुष्टि अदालत हाजा द्वारा **तहसीलदार बापिणी से तलब मौका फर्द दिनांक 13.11.2024 से होती है।** उक्त मौका फर्द में रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु रास्ते के रास्ते के तीन विकल्प बताये गये है, जिनकी दूरी क्रमषः परिषिष्ट अ मार्क ए से एम. 640 मीटर, परिषिष्ट ब मार्क ए ऐ एफ 507 मीटर तथा परिषिष्ट स मार्क ए से एफ 829 मीटर। **वर्तमान में रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर परिषिष्ट स के अनुसार कदीमी रास्ता चालू होना बताया गया हैं।**

विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द दिनांक 08.09.2020 एवं मौका फर्द दिनांक 30.072021 के अवलोकन मुताबिक उक्त मौका फर्दे अपीलांट्स को सूचित किये बिना उनकी अनुपस्थिति में तैयार किया जाना प्रकट होती है। उक्त मौका फर्दो में रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पों एवं वर्तमान चलायमान वैकल्पिक रास्ते की जांच नहीं किया जाना प्रकट होता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को मौका फर्द पर आपत्तियॉ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेष विधिक प्रावधानो एवं धारा 251–ए की मंषा के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेष विधि–विरूद्ध एवं धारा 251–ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंषिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 555/2020 तिलोकसिंह व अन्य बनाम भीखसिंह इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 03 मार्च 2022 निरस्त किया जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देष के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह खसरा नंबर 506/1, 742 एवं 746 के खातेदारों को मामले में पक्षकार संयोजित करते हुए उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मौका फर्द दिनांक 13.11.2024 में दर्षित परिषिष्ट स के अनुसार मौके पर चलायमान कदीमी रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए का विधिसम्मत निस्तारण करे। तब तक परिषिष्ट स में दर्षित चालू रास्ते को बंद नहीं किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर